

आदित्यावश्यक

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 4(1)कार्मिक / क-2 / अंप्र./ 2006 जयपुर, दिनांक:

२६ FEB 2013

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव  
समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स

परिपत्र

विषय:- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.11 के अनुसार सम्पन्न हो चुकी रिक्त डीपीसी/डीपीसी के संबंध में।

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक: 11.01.13 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों से अधिसूचना दिनांक 11.09.11 के अनुसार जिन सेवा/पद के लिए रिक्त डीपीसी/नियमित डीपीसी की बैठके आयोजित की जा चुकी है के संबंध में सूचना ढाही गयी थी, जोकि अभी तक अपेक्षित है जिसे गम्भीरता से लिया गया है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी वांछित सूचना कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.11 के अनुसार जिन सेवा/पद के लिए वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक की रिक्त डीपीसी/नियमित डीपीसी की बैठके आयोजित की जा चुकी है तथा कितने राजसेवक पदोन्नत किये गये हैं, के संबंध में अपने अधीनस्थ विभागों से सूचना इकजार्ह कर निम्नांकित प्रपत्र में दिनांक 07.02.13 को 3.00 P.M. तक कार्मिक विभाग के ई-मेल ([dopcomputer@yaahoo.co.in](mailto:dopcomputer@yaahoo.co.in))/फैक्स नं(0141-2227986) /विशेष पत्र बाहक से भिजाया जाना अवश्यमें सुनिश्चित करें।

विभाग / सेवा	पदनाम	पदोन्नति वर्ष जिसकी रिक्त/नियमित डीपीसी की जाकर प्रशंसित कितने-कितने राजसेवक को पदोन्नत किया गया।	कितने राजसेवकों को इष्टहक पदोन्नत किया गया।	इकाया रिक्त डीपीसी/नियमित डीपीसी कवर तक की जावेंगी तथा कितने राजसेवक पदोन्नत होंगे।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
		GEN SC ST			

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

20  
(सुदर्शन सेठी)  
5.2.2013  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव/सचिव मार्ग मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव

3/2013